संख्या- 35/2022/ 852/ सत्रह-म-2022/ 001-17-1002-002-13-2019

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु रू0 46,11,750/ - की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 223/ नि0शा0/ 2022-23 दिनांक 13 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय मत्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम – 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02- मजदूरी मद में रू0 173950, 09- विद्युत देय मद में रू0 463250, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 162900, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1120891 तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 2690759 अर्थात कुल धनराशि रू0 4611750/- (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु कुल धनराशि रू0 46,11, 750/- (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3)जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(4) सभावित व्यय की फेंजिग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेंजिग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।

(5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशें का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2405001010408 (विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	02 मजदूरी	1,73,950 (रूपये एक लाख तिहत्तर हजार नौ सौ पचास मात्र)
2	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	09 विद्युत देय	4,63,250 (रूपये चार लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास मात्र)
3	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	1,62,900 (एक लाख बासठ हजार नौ सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	11,20,891 (रूपये ग्यारह लाख बीस हजार आठ सौ इक्यानबे मात्र)
5	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	26,90,759 (रूपये छब्बीस लाख नब्बे हजार सात सौ उनसठ मात्र)
	कुल	महायोग	**रूपये 46,11,750 (रूपये छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र)**	

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/ 2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या- 35/2022/ 852/सत्रह-म-2022/001-17-1002-002-13-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल ।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।